हमारी पूछताछ और शिकायतों का निपटान करने की सेवाओं को परिष्कृत करने के लिए, वर्तमान भेदभाव-रोधी अध्यादेशों अर्थात लिंग भेदभाव अध्यादेश (कैप.480); विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (कैप. 487), पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश (कैप.527) और नस्ल भेदभाव अध्यादेश (कैप.602) के अंतर्गत भेदभाव, उत्पीड़न और गाली-गलौज से संबंधित सभी पूछताछ और शिकायतें या हमारी सेवाओं के बारे में पूछताछ. सोमवार 28 सितम्बर 2020 से प्रभावी होकर. निम्नलिखिति चैनलों में से किसी एक माध्यम से की जाएंगी:

- व्यक्तिगत, टेलीफोन (केवल पूछताछ के लिए), ऑनलाइन फ़ॉर्म, फैक्स, पत्र (मौजूदा चैनल)
- SMS सेवाएं (श्रवण विकलांगता / बोलने में कठिनाई वाले लोगों द्वारा पूछताछ के लिए) डाउनलोड करने योग्य फार्मों तक पहुँचने के लिए कृपया नीचे संबंधित लिक को क्लिक करें:

(भेदभाव-रोधी अध्यादेशों से संबंधति शिकायत के लिए शिकायत फ़ॉर्म)

(भेदभाव-रोधी अध्यादेशों से संबंधित पूछताछ के लिए पूछताछ फ़ॉर्म)

(EOC की सेवाओं के बारे में पूछताछ और शिकायत के लिए संपर्क /फीडबैक फ़ॉर्म)

कृपया पूरी तरह भरे हुए फ़ॉर्म ईमेल पते eoc@eoc.org.hk पर भेजें। कृपया ध्यान दें केवल वही सेवा उपयोगकर्ता जिनकी भाषा संबंधी आवश्यकता इस वेबपेज पर सूचीबद्ध हैं अपनी भाषा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस ईमेल पते का उपयोग निर्धारित डाउनलोड करने योग्य फ़ॉर्म जमा करने के लिए कर सकते हैं। ईमेल पता eoc@eoc.org.hk उन लोगों की पूछताछ या शिकायतों का निपटान करने के लिए निर्धारित नहीं है जिनकी ऐसी भाषा आवश्यकताएं नहीं हैं, जिनके लिए ई-फ़ॉर्म वेबपेज पर अंग्रेजी या चीनी भाषा में उपलब्ध हैं।